

न्यायालय, उपखाण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या :245 /2024(जी.सी.एम.एस. 2024 /389)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. द्रोपती बेन रामूमल लुहाना उर्फ लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पत्नी रामूमल लुहाना पुत्री वाधूमल जाति सिन्धी निवासी श्रीकरणपुर हाल आबाद 8 ए 235 शांतिनगर भिलौडा सांभरकांठा गुजरात।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 16.12.2024

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 25.09.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुख्या नम्बर 10, 29 की कुल 4.802 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 205/2401 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पुत्री वाधूमल दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना दर्ज है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काशत करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पुत्री वाधूमल के स्थान पर द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2289 दिनांक 04.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक द्रोपती बेन रामूमल लुहाना उर्फ लक्ष्मीबाई उर्फ रूकी पत्नी रामूमल लुहाना पुत्री वाधूमल जाति सिन्धी एक ही महिला के नाम है। उक्त तीनों नामों से वादिया को जाना व पहचाना जाता है। उक्त तीनों नाम एक ही महिला के है। राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भूअ. नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 में लक्ष्मीबाई उर्फ रूकी उर्फ द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना पुत्री वाधूमल जाति सिन्धी साकिन देह करने की कृपा करे।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखाण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पहचान पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पुत्री वाधुमल के स्थान पर द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, में नाम द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक द्रोपती बेन रामूमल लुहाना उर्फ लक्ष्मीबाई उर्फ रूकी पत्नी रामूमल लुहाना पुत्री वाधुमल जाति सिंधी एक ही महिला के नाम है। उक्त तीनों नामों से वादिया को जाना व पहचाना जाता है। उक्त तीनों नाम एक ही महिला के है। राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 में लक्ष्मीबाई उर्फ रूकी उर्फ द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पत्नी रामूमल लुहाना पुत्री वाधुमल जाति सिंधी साकिन देह करने की कृपा करे। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू. अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पुत्री वाधुमल के स्थान पर लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी उर्फ द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पुत्री वाधुमल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर, बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ़तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(सुरोसम (राजस्थान))  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड) अधिकारी

श्री श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरोसम (राजस्थान))  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड) अधिकारी

श्री श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

द्रोपती बेन बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 245/2025

निर्णय दिनांक :- 25.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफए, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 12 पर अंकित नाम लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी पुत्री वाधूमल के स्थान पर लक्ष्मी बाई उर्फ रूकी उर्फ द्रोपती बेन रामूमल लुहाना पुत्री वाधूमल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 25.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/2025/731

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)